

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

21

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक :- एफ. 7(01)परीक्षा/क/प्राध्यापक/(स्कूल शिक्षा)/अंग्रेजी/2018-19/2868 दिनांक : 07.01.2021 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- अंग्रेजी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल (I.-12) पर चयनोपरान्त संलग्न सूची में चिह्नित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- अंग्रेजी के पद पर 02 वर्ष के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- अंग्रेजी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक : 13.03.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक : 30.10.2017 एवं दिनांक : 09.12.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के प्रावधानानुसार राजकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प के आधार पर विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.13(1)एफडी/नियम/2003 जयपुर, दिनांक : 28.01.2004, एफ.13(1)एफडी/नियम/2003 जयपुर, दिनांक : 27.03.2004 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे :-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा नहीं होना चाहिए"। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. अभ्यर्थी के शैक्षिक/प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। आवेदन करने के तत्पश्चात् तलाकशुदा/विधवा महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पूर्व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आशय का शपथ पत्र अवश्य लेवे।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-11/2019 जयपुर, दिनांक : 20.10.2019, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/ सान्याअवि /19/ 14279-330 जयपुर, दिनांक : 12.03.2019 एवं क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/62866-63066 जयपुर, दिनांक : 22.10.2019 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसरण में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए तथा उक्त प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में पति व पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य होगा, उपरोक्तानुसार स्थिति नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा प्रकरण तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावें।
5. उक्त नियुक्तियां राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
6. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तथा कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका में भी संलग्न किया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक :- पं.1(1)कार्मिक/क-2/2016 जयपुर, दिनांक 04.12.2019 के अनुसरण में कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवावें। अभ्यर्थी की सदाचरण जांच प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है या अभ्यर्थी द्वारा सदाचरण जांच प्रतिवेदन कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु न्यायिक/भाषाचारी/इत्यादि कोई भी प्रकार का

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


श्रीमान सिंह

मुकदमा/पंकरण विभागाधीन नही होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक प्राप्ति पत्र 80/- रु का तीन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।

- 8 पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मियों से विभागीय अनुमति प्रत्यक्ष पत्र प्राप्त किया जाये।
- 9 आवेदक द्वारा दत्तेज एव सुमान सम्बन्धी रज भोग्या पत्र प्राप्त किया जाये।
- 10 यदि राज्य सरकार की रज में हुनका कार्य या आगम्य परिवर्तित की सम्भावना में संतोषप्रद नही माना जाये अथवा यह प्रतीत हो कि हुनके एक वर्ष बादवापक होने की क्षमता नही है तो सरकार हुनके सेवा में तुरंत विमुक्त कर सकेगी।
- 11 नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों का भोग्या पत्र (संलग्न प्रारूप में) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जाये। दिनांक 01.08.2012 को अथवा पश्चात् को से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नही है परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चात्तवती प्रसव से एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
- 12 भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित **भारत सरकार का 1980 वर्ष के लिए सैनिकी सेवा के लिए प्रमाणपत्र-स्कूल शिक्षा वर्दी परीक्षा 2018** के पद हेतु आवेदन करने की सूचना आवेदक वरिष्ठता प्राप्त करते हुए प्राप्त हुआ जाये चयन क्रमांक - 58(18)कार्मिक/क-2/84 फाट जयपुर, दिनांक 21.08.2010 को वृद्धिगत स्वतः हुए कार्यवाहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करवाये।
- 13 चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajusthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यवाह करके हेतु अधिकृत होंगे।

संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर दिनांक 26.08.2021 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यवाहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएँ/तथ्य सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के हुनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।

संलग्न सूची :- अभ्यर्थियों की संख्या 07


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविर/भा/संस्था/सी 1/अभिजी/आरपीएससी-11/पदस्थापन /2021








दिनांक : 25-05-2021


➤ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(मुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, रांगाम।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
6. समस्त संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्रम में कार्यग्रहण नही करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना समेकित कर, संकलित सूचना तत्काल इस कार्यालय में वाहक स्तर पर प्रेषित की जावे, साथ ही अपने अधीनस्थ संस्थाप्रधान से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर, इस कार्यालय में प्रेषित करें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. सहायक निदेशक, संस्थापन (सी 1,2,3 व 4)/वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्रशासनाधीन, सऊमावि /संबंधित कार्मिक/शिक्षित पदावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

शिविरा/मा. रास्था/सी-1/अधेजी/आरपीएससी-18/पदस्थापन/2021										दिनांक :- 25-05-2021		
क्र.सं.	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	समय का	नियम कर्म	श्रे. नं.	पदस्थापन स्थान	जिला	छायाचित्र
1	816689	SATIYA KARAYAN	BAIRAM	V/P- BOLANWALI TEH SANGARIA BOLANWALI HANUMANGARI 335063	10/10/1982	BC, RG	OBCM		102	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANGAHI (220777), SINDHARI (08170507001) (SIWANA)	BARMER	
2	914901	RAJESH SINGH	RAM KUNWAR SINGH	VILLAGE- BHAGEGA POST- BHAGEGA TEHSIL- NIEMIKA THANA NIEMIKA THANA SIKAR 332714	7/1/1984	GT, RG, F WS	EWSM		164	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADI (224360), NIMBAHERA (08291012006)	CHITTAURGARH	
3	916559	MANOJ CHOUHARY	MANA RAM CHOUHARY	KHOKHARIYA BANAR - KHOKHARIYA RODHIPUR 342027	5/25/1983	BC, EX	OBCM	EX	206	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHORDA (221085), AAHOR (08180106315)(AHORE)	JALOR	
4	746512	BHAGWAN SAHAYA YADAV	BADRI NARAIN YADAV	HNO 266 RAINI VIHAR HILRAPURA HEERAPURA AJMER ROAD JAIPUR 302021	7/1/1975	BC, EX	OBCM	EX	224	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAHAN (222253) (222253)	BUNDI	
5	747980	SATISH KUMAR	RAMESHWAR DAYAL	KHATTOR MOHALI A VPO- HATUNDI TEH- MUNDAWAR HATUNDI ALWAR 301427	8/5/1984	BC, EX	OBCM	EX	240	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GAINTA (224432), ITAWA (08300110404)(PIPALDA)	KOTA	
6	725954	RAJESH KUMAR SHARMA	JAGDISH PRASAD SHARMA	VPO - MALAH TEHSIL - BHARATPUR - MALAH BHARATPUR 321001	7/24/1981	GE, EX	GENM	EX	265	SHAHEED JAGVEER SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KURKA (217444) (217444)	BHARATPUR	
7	786437	ANITA MEENA	WO HARI PRAKASH MEENA	GOVIND BHAWAN ADARSH NAGAR - TONK TONK 304001	6/18/1982	ST, WE, W D, RG	STF	WD	300	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HAMIRPUR (222093), TODARISINGH (08220404003 (TONK)	TONK	



(सौरभ स्वामी)

आइएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर